न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 15,
लखनऊ।

एस0टी0 सं0 1118/2017,
सरकार बनाम बिन्दु कुमार आदि

31–5–2019

पत्रावली प्रस्तुत। अभियुक्त बिन्दु कुमार उपस्थित। अभियुक्त मो0 मुन्ना उर्फ नौशाद का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र आज हेतु स्वीकृत। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में नियत है। इस स्तर पर अभियोजन द्वारा एक प्रार्थनापत्र बी–6 इस आशय का दिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के वादी पी0डब्लू0 1 दिलीप कुमार को पुनः साक्ष्य हेतु तलब किया गया है। उभय पक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र का इस आधार पर विरोध किया गया कि पी0डब्लू0 1 की मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा समाप्त हो चुकी है। केवल विलम्ब करने के आशय से अभियोजन ने पी0डब्लू0 1 को पुनः तलब किये जाने की याचना की है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन द्वारा प्रार्थनापत्र बी–6 प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में पी0डब्लू0 1 का साक्ष्य पूर्व में दिनांक 29.11.18 को हुआ, जिस दिन अभियुकत का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र दिया गया था और इस कारण अभियुक्त की शिनाख्त नहीं हो सकी, जबकि साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया कि यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हो तो वह उसको पहचान सकता है। अतः ऐसी परिस्थिति में अभियोजन ने अभियुक्त की शिनाख्त किये जाने के लिए वादी मुकदमा पी0डब्लू0 1 को पुनः तलब किये जाने की याचना की है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण की घटना अभियुक्तगण के द्वारा वादी के साथ दिल्ली से देवरिया जाते समय ट्रेन में की गयी है। वादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी यह अंकित कराया कि उसे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया था और पुनः मुख्य परीक्षा में भी वादी ने किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं बताया है बल्कि यह बताया कि उसे ट्रेन में दो व्यक्ति मिले, जिन्होंने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उसके फलस्वरूप वह अचेत हो गया। साथ ही वादी ने यह भी कहा कि वह व्यक्ति अगर न्यायालय में सामने आये तो वह उसको पहचान सकता है।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण की घटना में नामित अभियुक्तगण की संलिप्तता सुनिश्चित किये जाने के लिए यह महत्वपूर्ण बिन्दु है कि इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वादी को कोल्ड ड्रिक पिलाई गई है अथवा नहीं और इस बिन्दु के निर्धारण के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य स्वयं वादी का हो सकता है। न्यायालय के समक्ष नामित अभियुक्तगण की शिनाख्त वादी ने नहीं की है, जबकि यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है।

धारा–311 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायालय किसी भी पूर्व में परीक्षित साक्षी को मुकदमें के उचित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए निर्णय से पूर्व किसी भी स्तर पर तलब कर सकता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अभियोजन के द्वारा जिस बिन्दु के सन्दर्भ में पी0डब्लू0 1 को पुनः तलब किये जाने की याचना की गयी है, वह प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु है। अतः अभियोजन का प्रार्थनापत्र बी–6 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियोजन का प्रार्थनापत्र बी–6 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थनापत्र बी–6 में अंकित बिन्दु के सन्दर्भ में वादी मुकदमा पी0डब्लू0 1 दिलीप कुमार को पुनः तलब किया जाये। साथ ही विवेचक भी तलब हों।

अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि पी0डब्लू0 1 दिलीप कुमार के साक्ष्य पूर्ण होने तक अभियुक्तगण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। पी0डब्लू0 1 दिलीप कुमार के साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित होने की दशा में किसी भी अभियुक्त का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा क्योंकि अभियुक्तगण की शिनाख्त के बिन्दु पर ही पी0डब्लू0 1 को तलब किया गया है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 25.6.19 को पेश हो।

(अरविन्द मिश्र)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0 15, लखनऊ।